संख्या-40/2019/537 ई-2/तेरह-2019-97/2016

प्रेषक,

वेद प्रकाश राय,
अनु सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

जिलाधिकारी,
लखनऊ।

आबकारी अनुभाग-2 लखनऊःदिनांकः 08 मार्च, 2019

विषय- मॉलिक्यूल एयर बार(ए यूनिट आफ आर0के0सचदेवा एण्ड संस प्रा0लि0), 7वां तल रिवर साइड माल, विपिनखण्ड, गोमतीनगर, लखनऊ को एफ0एल0-7 बार अनुज्ञापन स्वीकृत किये जाने के संबंध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक अपने पत्र सं0-4274/जि0आ0अधि0/बार अनु/2018-19/लखनऊ, दिनांक 18-02-2019 का कृपया संदर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें।

2. इस संबध्ं में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि उक्त संदर्भित पत्र दिनांक18-02-2019 के साथ प्राप्त आयुक्त लखनऊ मण्डल, लखनऊ की अध्यक्षता में सम्पन्न हुयी जिला बार समिति की बैठक दिनांक 05-02-2019 में जिला बार समिति द्वारा की गयी संस्तुति एवं इसी संदर्भ में आबकारी आयुक्त, उ0प्र0, प्रयागराज के पत्र सं0-जी-230/दस-लाइसेंस-01/ एफ0एल0-6,7 / मॉलिक्यूल एयर बार /बार अनु0/लखनऊ दिनांक 05-03-2019 में की गयी संस्तुति तथा अन्य समस्त सुसंगत अभिलेखो पर सम्यक विचारोपरान्त मॉलिक्यूल एयर बार(ए यूनिट आफ आर0के0सचदेवा एण्ड संस प्रा0लि0), 7वां तल रिवर साइड माल, विपिनखण्ड, गोमतीनगर, लखनऊ को एफ0एल0-7बार अनुज्ञापन एतदद्वारा इन शर्तों के साथ स्वीकृत किये जाने की अनुमति प्रदान की जाती है कि (1) रेस्टोरेन्ट/बार चूँकि बिल्डिंग के सातवें तल पर जगह कवर करके बनाया गया है। अतः रेस्टोरेन्ट/बार में आने वाले ग्राहकों/आगुन्तकों की सुरक्षा का सम्पूर्ण उत्तरादियत्व/ जिम्मेदारी रेस्टोरेन्ट/बार प्रबन्धन की होगी। प्रबन्धक द्वारा आगुन्तकों की सुरक्षा का पूर्ण इंतजाम*व्यवस्था किया जाना आवश्यक होगा।(2) अनुज्ञापन निर्गत करने से पूर्व माल की कॉमन पार्किंग में रेस्टोरेन्ट में आने वाले आगन्तुकों के वाहनों की पार्किंग हेतु पार्किंग स्थल का चिन्हांकन एवं वैले पार्किंग की व्यवस्था सुनिश्चित किया जाना आवश्यक होगा। (3)अग्निशमन यन्त्र पूर्णतः क्रियाशील अवस्था में व अग्निशमन की अनापत्ति जिन शर्तों/प्रतिबन्धों के साथ दी गयी है। अनुज्ञापन का संचालन इकाई द्वारा उक्त शर्त के पूर्ण होने के उपरान्त ही किया जायेगा। (4) सी0सी0टी0वी0 कैमरे एवं सुरक्षाकर्मियों की समुचित/पर्याप्त

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.nic.in

व्यवस्था तथा सुरक्षाकर्मी हैंड हेल्ड मेटल डिटेक्टर से सुसज्जित रहेगें इकाई द्वारा इसका पालन किया जायेगा।उक्त व्यवस्था होने के उपरान्त ही लाइसेंस निर्गत किया जायेगा।

तदनुसार कृपया अग्रतर कार्यवाही कराने का कष्ट करें।

भवदीय,

(वेद प्रकाश राय)
अनु सचिव।

संख्या-40/2019/537(1) ई-2/तेरह-2019तद्दिनांक

उपर्युक्त की प्रति आबकारी आयुक्त,उ0प्र0, प्रयागराज के पत्र सं0- जी-230/दस-लाइसेंस-01/ एफ0एल0-6,7 / मॉलिक्यूल एयर बार /बार अनु0/लखनऊ दिनांक 05-03-2019 के संदर्भ में सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

भवदीय,

(वेद प्रकाश राय)
अनु सचिव।

http://shasanadesh.up.nic.in

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।